रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274545
CG-DL-E-16072026-274545

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948
No. 538]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 596(अ).— केंद्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 134 की उपधारा (1) और (2) और धारा 135 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 143 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वाणिज्य पोत परिवहन (संवेशतित रूप से समुद्री मार्ग से ले जाए गए अपहानिकर पदार्थों द्वारा प्रदूषण निवारण) नियम, 2010 का अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) ये इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (संवेशतित रूप से समुद्री मार्ग से वहन किए गए अपहानिकर पदार्थों द्वारा प्रदूषण निवारण) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना -(1) ये नियम सभी ऐसे जलयानों पर लागू होंगे जो अपहानिकर पदार्थों को पैकेट में ले जाते हैं, जो अधिनियम की धारा 131 के उपबंधों के अधीन हैं।

(2) ये नियम जलयानों के भंडार और उपकरणों पर लागू नहीं होंगे।

3. परिभाषाएँ –(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "अपहानिकर पदार्थ" से किसी ऐसे पदार्थ या ऊर्जा के रूप में अभिप्रेत है, जो यदि समुद्र या वायु में प्रवेश कर जाए, तो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, जीवित संसाधनों और समुद्री जीवन को हानि पहुँचा सकता है, सुविधाओं को नुकसान पहुँचा सकता है या समुद्र या वायु के अन्य वैध उपयोगों में हस्तक्षेप कर सकता है और इसमें कोई भी पदार्थ शामिल हैं जो उन सम्मेलनों के नियंत्रण के अधीन है जिनमें भारत एक पक्ष है और दुसरे वे पदार्थ शामिल हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता में समुद्री प्रदूषक के रूप में पहचाना गया है या जो इन नियमों की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पूरा करते हैं;

(ग) "आईएमडीजी कोड" से अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) द्वारा अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता अभिप्रेत है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं;

(घ) "संगठन" से अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन अभिप्रेत है;

(ङ) "पैकेज रूप" से अंतरराष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता में अपहानिकर पदार्थों के लिए विनिर्दिष्ट संरोधक का प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, जिसमें समय-समय पर संशोधित जलयानों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1973 के उपाबंध 3 की अपेक्षाएँ शामिल हैं।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और पदों के जो प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

4. अपहानिकर पदार्थों का वहन –(1) जलयानों द्वारा पैकेटबंद रूप में अपहानिकर पदार्थों का परिवहन इन नियमों और सलंग्न अनुसूचियों के उपबंधों के सिवाय प्रतिषिद्ध है।

(2) अपहानिकर पदार्थों को पैकेट में ले जाने वाले प्रत्येक जलयान को समय-समय पर संशोधित अंतरराष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

(3) अपहानिकर पदार्थों के परिवहन के लिए पहले उपयोग किए गए खाली पैकेजों को स्वयं अपहानिकर पदार्थ माना जाएगा, जब तक कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई है कि उनमें समुद्री पर्यावरण के लिए अपहानिकर पदार्थों के अवशेष न हों।

5. अपवाद – (1) पैकेटबंद रूप में ले जाए जा रहे अपहानिकर पदार्थों को फेंकना प्रतिषिद्ध है, सिवाय इसके कि जब जलयान या समुद्र में जीवन बचाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अपेक्षा हो।

(2) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपहानिकर पदार्थों के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के आधार पर उचित उपाय किए जाएंगे जिससे जलयान से रिसाव को धोने को विनियमित किया जा सके;

परंतु ऐसे उपायों का अनुपालन करने से जलयान और उस पर सवार व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में न पड़े।

6. पतन राज्य नियंत्रण - (1) इन नियमों के अधीन भारत में किसी पत्तन या अपतटीय टर्मिनल में स्थित पोत परिचालन संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में सर्वेक्षक या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के अधीन होगा।

(2) जहाँ यह विश्वास करने का स्पष्ट कारण हो कि मास्टर या चालक दल अपहानिकर पदार्थों द्वारा प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित आवश्यक जलयान पर प्रक्रियाओं से परिचित नहीं हैं, वहाँ सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति विस्तृत निरीक्षण सहित ऐसे कदम उठाएगा और यदि अपेक्षा हो, तो यह सुनिश्चित करेगा कि स्थिति इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवस्थित होने तक जलयान रवाना न हो।

(3) इस नियम की कोई बात अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1973 के विशेष रूप से निर्धारित परिचालन आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखने वाली केंद्रीय सरकार के अधिकारों और दायित्वों को सीमित किया जा सके।

7. शास्तियां और प्रवर्तन –(1) इन नियमों का उल्लंघन या इनके किसी भी उपबंध का पालन न करने पर अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट शास्ति लागू होंगी।

(2) कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी जलयान का संचालन करता है और जिसके लिए अधिनियम की धारा 281 की उपधारा (2) के अधीन कोई शास्ति निर्धारित नहीं है, वह पचास हजार रुपये तक के शास्ति का भागी होगा, और यदि उल्लंघन निरंतर रहता है, तो उल्लंघन जारी रहने वाले पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपये तक का अतिरिक्त शास्ति लगायी जा सकती है।

(3) इन नियमों के अधीन किसी जलयान पर शास्ति अधिरोपित करना या उसे हिरासत में लेना, स्वामी या मालिक को गैर-अनुपालन को ठीक करने की आवश्यकता से मुक्त नहीं करता है।

अनुसूची 1

[नियम 4 देखें]

तकनीकी अपेक्षाएँ

1. पैक करना - पैकेज, उनकी विनिर्दिष्ट अंतर्वस्तु को ध्यान में रखते हुए, समुद्री पर्यावरण के परिसंकट को कम करने के लिए पर्याप्त होंगे और अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय खतरनाक माल संहिता की अपेक्षाओं का पालन करेंगे।

2. चिन्ह लगाना और लेबल लगाना -

(1) हानिप्रद पदार्थों वाले पैकेजों को सही तकनीकी नाम (कारबार नाम सहित), अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय खतरनाक माल संहिता संख्या और समुद्री प्रदूषक उपदर्शन के साथ स्थायी रूप से चिन्हित और लेबल किया जाएगा।

(2) टिकाऊ चिन्ह लगाने और लेबल लगाने के प्रयोजन से, उपयोग की जाने वाली सामग्रियों और पैकेज की सतह के स्थायी रूप को ध्यान में रखा जाएगा।

(3) सही तकनीकी नाम को चिन्हित करने और हानिप्रद पदार्थों वाले पैकेजों पर लेबल लगाने का ढंग ऐसा होगा कि पैकेजों पर लिखी गई जानकारी समुद्र में कम से कम तीन मास के निमज्जन के पश्चात भी पहचानने योग्य रहे।

(4) अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय खतरनाक माल संहिता के अधीन छूट प्राप्त हानिप्रद पदार्थों की छोटी मात्रा वाले पैकेजों को भी उपपैरा (1) से उपपैरा (3) के उपबंधों के अधीन चिन्ह लगाने और लेबल लगाने से छूट दी जाएगी।

3. प्रलेखीकरण -

(1) समुद्र के द्वारा हानिप्रद पदार्थों के वहन से संबंधित सभी दस्तावेजों में, ऐसे प्रत्येक पदार्थ के सही तकनीकी नाम, जिसके अंतर्गत उसके कारबार का नाम भी होगा, का उपयोग किया जाएगा, और "समुद्री प्रदूषक" शब्द जोड़कर पहचान की जाएगी।

(2) पोतवणिक द्वारा आपूर्ति किए गए पोत परिवहन दस्तावेजों में हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र या घोषणा सम्मिलित होगी या उसके साथ होना चाहिए कि वहन के लिए प्रस्तावित किए गए लदाई को ठीक से पैक किया गया है और चिन्हित किया गया है, उचित रूप से लेबल किया गया है या समुद्रीय पर्यावरण के परिसंकट को कम करने के लिए वहन के लिए उचित स्थिति में प्लेकार्ड किया गया है।

(3) हानिप्रद पदार्थों को ले जाने वाले प्रत्येक जलयान में विशेष सूची या घोषणा पत्र होगा जो बोर्ड पर हानिप्रद पदार्थों और उसके स्थान को उपदर्शित करती है, या विस्तृत भंडारण योजना होगी जो ऐसी विशेष सूची या घोषणापत्र के स्थान पर बोर्ड पर हानिप्रद पदार्थों के स्थान को उपदर्शित करती है और—

(क) ऐसे दस्तावेजों की प्रतियाँ जलयान के स्वामी या उसके प्रतिनिधि द्वारा किनारे पर तब तक रखी जाएंगी जब तक कि

ऐसे हानिप्रद पदार्थों को उतार नहीं दिया जाता;

तथा

(ख) प्रस्थान से पहले, ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां पत्तन राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएंगी।

(4) जब अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसार खतरनाक माल के वहन के लिए अपेक्षित विशेष सूची या घोषणापत्र या विस्तृत भंडारणयोजना होती है, तो उन नियमों के अधीन खतरनाक माल के वहन के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को इन नियमों के अधीन हानिप्रद पदार्थों के वहन के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ संयुक्त किया जा सकता है: परंतु जहाँ दस्तावेज इस तरह से संयुक्त हैं, वहाँ खतरनाक माल और हानिप्रद पदार्थों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाएगा।

4. भरण -

संगठन द्वारा विकसित अपेक्षाओं के अनुसार हानिप्रद पदार्थों को ठीक से भरण और सुरक्षित किया जाएगा ताकि जलयान और उस पर सवार व्यक्तियों की सुरक्षा को बाधित किए बिना समुद्री पर्यावरण के परिसकंट को कम किया जा सके।

स्पष्टीकरण : संगठन द्वारा विकसित अपेक्षाओं से अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित अपेक्षाएँ अभिप्रेत हैं।

5. मात्रा सीमाएँ -

जहाँ, ध्वनि वैज्ञानिक और तकनीकी कारणों से, जलयान पर हानिप्रद पदार्थों के वहन या तो प्रतिषिद्ध है या मात्रा सीमित है, मात्रा को सीमित करते समय, जलयान के आकार, निर्माण और उपस्कर, साथ ही पैक करने और पदार्थों की अंतर्निहित प्रकृति पर उचित विचार किया जाएगा।

अनुसूची 2
[नियम 4 देखें]

पैक किए गए रूप में हानिकारक पदार्थों की पहचान के लिए मानदंड

इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, रेडियोएक्टिव पदार्थ से भिन्न, निम्नलिखित मानदण्डों में से किसी के द्वारा पहचाने जाने वाले पदार्थ हानिप्रद हैं:

1. तीव्र (अल्पकालिक) जलीय परिसंकट

प्रवर्ग : तीव्र 1 96 घंटे एलसी$_{50}$ (मछली के लिए) ≤ 1 मिलीग्राम/लीटर; और/या 48 घंटे ईसी$_{50}$ (क्रस्टेशिया के लिए) ≤ 1 मिलीग्राम/लीटर; और/या 72 घंटे आर 96 घंटे ईआरसी$_{50}$ (शैवाल या अन्य जलीय पौधों के लिए) ≤ 1 मिलीग्राम/लीटर।

2. दीर्घकालिक जलीय खतरा

(1) तेजी से विघटित न होने वाले पदार्थ जिनके लिए पर्याप्त दीर्घकालिक विषाक्तता डाटा उपलब्ध है।

प्रवर्ग दीर्घकालिक 1:

दीर्घकालिक एनओईसी या ईसीएक्स (मछली के लिए) ≤ 0.1 मिलीग्राम/लीटर और/या

दीर्घकालिक एनओईसी या ईसीएक्स (क्रस्टेशिया के लिए) ≤ 0.1 मिलीग्राम/लीटर और/या

दीर्घकालिक एनओईसी या ईसीएक्स (शैवाल या अन्य जलीय पौधों के लिए) ≤ 0.1 मिलीग्राम/लीटर।

प्रवर्ग दीर्घकालिक 2:

दीर्घकालिक एनओईसी या ईसीएक्स (मछली के लिए) ≤ 1 मिलीग्राम/लीटर और/या

दीर्घकालिक एनओईसी या ईसीएक्स (क्रस्टेशियन के लिए) ≤ 1 मिलीग्राम/लीटर और/या

दीर्घकालिक एनओईसी या ईसीएक्स (शैवाल या अन्य जलीय पौधों के लिए) ≤ 1 मिलीग्राम/लीटर

(2) तेजी से विघटित होने वाले पदार्थ जिनके लिए पर्याप्त दीर्घकालिक विषाक्तता डाटा उपलब्ध हैं।

प्रावर्ग दीर्घकालिक 1:

दीर्घकालिक एनओईसी या ईसीएक्स (मछली के लिए) ≤ 0.01 मिलीग्राम/लीटर और/या

दीर्घकालिक एनओईसी या ईसीएक्स (क्रस्टेशिया के लिए) ≤ 0.01 मिलीग्राम/लीटर और/या

दीर्घकालिक एनओईसी या ईसीएक्स (शैवाल या अन्य जलीय पौधों के लिए) ≤ 0.01 मिलीग्राम/लीटर।

प्रावर्ग दीर्घकालिक 2:

दीर्घकालिक एनओईसी या ईसीएक्स (मछली के लिए) ≤ 0.1 मिलीग्राम/लीटर और/या

दीर्घकालिक एनओईसी या ईसीएक्स (क्रस्टेशिया के लिए) ≤ 0.1 मिलीग्राम/लीटर और/या

दीर्घकालिक एनओईसी या ईसीएक्स (शैवाल या अन्य जलीय पौधों के लिए) ≤ 0.1 मिलीग्राम/लीटर।

(3) ऐसे पदार्थ जिनके लिए पर्याप्त दीर्घकालिक विषाक्तता डेटा उपलब्ध नहीं है।

प्रवर्ग दीर्घकालिक 1:

96 घंटे एलसी$_{50}$ (मछली के लिए) ≤ 1 मिलीग्राम/लीटर और/या

48 घंटे ईसी$_{50}$ (क्रस्टेशिया के लिए) ≤ 1 मिलीग्राम/लीटर और/या

72 या 96 घंटे ईआरसी$_{50}$ (शैवाल या अन्य जलीय पौधों के लिए) ≤ 1 मिलीग्राम/लीटर

और पदार्थ जो तेजी से विघटित नहीं होते और/या प्रयोगात्मक रूप से अवधारित बीसीएफ 500 ≥ है (या, यदि लॉग केओडब्ल्यू ≥ 4 अनुपस्थित है।

प्रवर्ग दीर्घकालिक 2:

96 घंटे एलसी$_{50}$ (मछली के लिए) > 1 मिलीग्राम/लीटर लेकिन ≤ 10 मिलीग्राम/लीटर और/या

48 घंटे ईसी$_{50}$ (क्रस्टेशिया के लिए) > 1 मिलीग्राम/लीटर लेकिन ≤ 10 मिलीग्राम/लीटर और/या

72 या 96 घंटे ईआरसी$_{50}$ (शैवाल या अन्य जलीय पौधों के लिए) > 1 मिलीग्राम/लीटर लेकिन ≤ 10 मिलीग्राम/लीटर

और पदार्थ जो तेजी से विघटित नहीं होते हैं और/या प्रयोगात्मक रूप से अवधारित बीसीफ 500 ≥ है (या, यदि लॉग केओडब्ल्यू ≥ 4 अनुपस्थित है)। पदार्थों और मिश्रणों के लिए वर्गीकरण प्रक्रिया पर अतिरिक्त मार्गदर्शन अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय खतरनाक माल संहिता में सम्मिलित है।

[फा. सं. SY-19014/198/2025-MG(ii)]

मुकेश मंगल,अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2026

G.S.R. 596(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 134, and sub-section (2) of section 135 read with sub-sections (1) and (2) of section 143 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the Merchant Shipping (Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form) Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

(1) Short title and commencement. —(1)These rules may be called the Merchant Shipping (Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form) Rules, 2026.

They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Application. — (1)These rules shall apply to all vessels carrying harmful substances in packaged form, which are

subject to the provisions of section 131 of the Act.

(1) These rules shall not apply to vessel's stores and equipment.

3. **Definitions. —** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) "harmful substance" means any substance or form of energy, which, if introduced into the sea or air, is liable to create hazards to human health, harm living resources and marine life, damage amenities or interfere with other legitimate uses of the sea or air and includes any substance subject to control by any of the conventions to which India is a party and includes substances which are identified as marine pollutants in the International Maritime Dangerous Goods Code or which meet the criteria as specified in the Schedule II of these rules;

(c) "IMDG Code" means the International Maritime Dangerous Goods Code adopted by the International Maritime Organization (IMO), as amended from time to time;

(d) "Organisation" means the International Maritime Organization;

(e) "packaged form" means the form of containment specified for harmful substances in the International Maritime Dangerous Goods Code;

(f) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules containing the requirements of Annex III of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as amended from time to time.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

4. **Carry of harmful substances.** —(1)The carriage of harmful substances in packaged form by vessels is prohibited, except in accordance with the provisions of these rules and the Schedules annexed here to.

(2) Every vessel carrying harmful substances in packaged form shall comply with the requirements of the International Maritime Dangerous Goods Code, as amended from time to time.

(3) The empty packages which have been used previously for the carriage of harmful substances shall themselves be treated as harmful substances unless adequate precautions have been taken to ensure that they contain no residue that is harmful to the marine environment.

5. **Exceptions.** —(1) Jettisoning of the harmful substances carried in packaged form is prohibited except where necessary for the purpose of securing the safety of the vessel or saving life at sea.

(2) Subject to the provisions of these rules, appropriate measures based on the physical, chemical and biological properties of harmful substances shall be taken to regulate the washing of leakages overboard: Provided that compliance with such measures would not impair the safety of the vessel and persons on board.

6. **Port State Control.** — (1) A vessel when in a port or an offshore terminal in India is subject to inspection by the surveyor or an authorised person, concerning operational requirements under these rules.

(2) Where there are clear grounds for believing that the master or crew are not familiar with essential shipboard procedures relating to the prevention of pollution by harmful substances, the surveyor or an authorised person shall take such steps, including carrying out detailed inspection and, if required, will ensure that the vessel shall not sail until the situation has been brought to order in accordance with the requirements of these rules.

(3) Nothing in this rule shall be construed to limit the rights and obligations of the Central Government carrying out control over operational requirements specifically provided for in the Act or rules made thereunder or the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973.

7. **Penalties and enforcement. —** (1) Any contravention of these rules or failure to comply with any requirement thereof shall be liable to penalties as specified in the Act.

(2) Any person who operates any vessel in contravention of the provisions of these rules, and for which no penalty is provided under sub-section (2) of section 281 of the Act, shall be liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees, and if the breach is a continuing one, with further penalty which may extend to five thousand rupees for every day after the first day during which the breach continues.

(3) The imposition of a penalty or the detention of a vessel under these rules does not absolve the owner or master from the requirement of rectifying the non-compliance.

SCHEDULE I
[*See* rule 4]
TECHNICAL REQUIREMENTS

1. **Packing. —** Packages shall, having regard to their specific contents, be adequate to minimize hazard to the marine environment and shall comply with the requirements of International Maritime Dangerous Goods Code.

2. **Marking and labelling. —**

(1) Packages containing harmful substances shall be durably marked and labelled with the correct technical name (including trade name), International Maritime Dangerous Goods Code number, and marine pollutant indication.

(2) For the purpose of durable marking and labelling, the durability of the materials used and of the surface of the package shall be taken into account.

(3) The method of marking correct technical name and of affixing labels on packages containing harmful substances shall be such that information written on packages shall remain identifiable even after at least three months of immersion in the sea.

(4) Packages containing small quantities of harmful substances which are exempted under the International Maritime Dangerous Goods Code shall also be exempted from marking and labelling under the provisions of sub-paragraph (1) to (3).

3. **Documentation. —**

(1)In all documents relating to the carriage of harmful substances by sea, the correct technical name of each such substance including its trade name shall be used and shall be identified by adding the words "MARINE POLLUTANT".

(2) The shipping documents supplied by the shipper shall include or be accompanied by a signed certificate or declaration that the shipment offered for carriage is properly packaged and marked, appropriately labelled or placarded in proper condition for carriage to minimize the hazard to the marine environment.

(3) Each vessel carrying harmful substances shall have a special list or manifest setting forth the harmful substances on board and the location thereof or a detailed stowage plan setting out the location of the harmful substances on board in the place of such special list or manifest and —

(a) copies of such documents shall be retained on shore by the owner of the vessel or his representative until such harmful substances are unloaded; and

(b) before departure, copies of such documents shall be made available to the person authorised by the port state authority.

(4) When the vessel carries a special list or manifest or a detailed stowage plan required for the carriage of dangerous goods in accordance with the applicable rules made under the Act, the documents required for carriage of dangerous goods under those rules may be combined with the documents required for carriage of harmful substances under these rules:

Provided that where documents are so combined, a clear distinction shall be made between dangerous goods and harmful substances.

4. Stowage. —

Harmful substances shall be properly stowed and secured as per requirements developed by organisation so as to minimise the hazards to the marine environment without impairing the safety of the vessel and persons on board.

Explanation: Requirements developed by organisation means the requirements as per International Maritime Dangerous Goods Code adopted by the International Maritime Organization, as amended from time to time.

5. Quantity limitations. —

Where, for sound scientific and technical reasons, carriage of harmful substances onboard of a vessel is either prohibited or limited in quantity, while limiting the quantity, due consideration shall be given to size, construction and equipment of the vessel, as well as the packaging and the inherent nature of the substances.

SCHEDULE II
[*See* rule 4]

Criteria for the Identification of Harmful Substances in Packaged Form

For the purposes of these rules, substances, other than radioactive materials, identified by anyone of the following criteria are harmful substances:

1. Acute (short-term) aquatic hazard

Category: Acute 1	
96 hr LC_{50} (for fish)	≤ 1 mg/ ℓ and/or
48 hr EC_{50} (for crustacea)	≤ 1 mg/ ℓ and/or
72 r 96 hr ErC_{50} (for algae or other aquatic plants)	≤ 1 mg/ ℓ

2. Long-term aquatic hazard

(1) Non-rapidly degradable substances for which there are adequate chronic toxicity data available.

Category Chronic 1**:**	
Chronic NOEC or EC_X (for fish)	≤ 0.1 mg/ ℓ and/or
Chronic NOEC or EC_X (for crustacea)	≤ 0.1 mg/ ℓ and/or
Chronic NOEC or EC_X (for algae or other aquatic plants)	≤ 0.1 mg/ ℓ
Category Chronic 2**:**	
Chronic NOEC or EC_X (for fish)	≤ 1 mg/ ℓ and/or
Chronic NOEC or EC_X (for crustacea)	≤ 1 mg/ ℓ and/or
Chronic NOEC or EC_X (for algae or other aquatic plants)	≤ 1 mg/ ℓ

(2) Rapidly degradable substances for which there are adequate chronic toxicity data available.

Category Chronic 1:	
Chronic NOEC or EC_X (for fish)	$\leq$ 0.01 mg/ ℓ and/or
Chronic NOEC or EC_X (for crustacea)	$\leq$ 0.01 mg/ ℓ and/or
Chronic NOEC or EC_X (for algae or other aquatic plants)	$\leq$ 0.01 mg/ ℓ
Category Chronic 2:	
Chronic NOEC or EC_X (for fish)	$\leq$ 0.1 mg/ ℓ and/or
Chronic NOEC or EC_X (for crustacea)	$\leq$ 0.1 mg/ ℓ and/or
Chronic NOEC or EC_X (for algae or other aquatic plants)	$\leq$ 0.1 mg/ ℓ

(3) Substances for which adequate chronic toxicity data not available.

Category Chronic 1:	
96 hr LC_{50} (for fish)	$\leq$ 1 mg/ ℓ and/or
48 hr EC_{50} (for crustacea)	$\leq$ 1 mg/ ℓ and/or
72 or 96 hr ErC_{50} (for algae or other aquatic plants)	$\leq$ 1 mg/ ℓ
and the substance is not rapidly degradable and/or the experimentally determined BCF is $\geq$ 500 (or, if absent the log $K_{ow} \geq 4$).	
Category Chronic 2:	
96 hr LC_{50} (for fish)	>1 mg/ ℓ but $\leq$ 10 mg/ ℓ and/or
48 hr EC_{50} (for crustacea)	>1 mg/ ℓ but $\leq$ 10 mg/ ℓ and/or
72 or 96 hr ErC_{50} (for algae or other aquatic plants)	>1 mg/ ℓ but $\leq$ 10 mg/ ℓ

and the substance is not rapidly degradable and/or the experimentally determined BCF is $\geq$ 500 (or, if absent the log $K_{ow} \geq 4$). Additional guidance on the classification process for substances and mixtures is included in the International Maritime Dangerous Goods Code.

[F. No. SY-19014/198/2025-MG(ii)]

MUKESH MANGAL,Addl. Secty.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.16 14:46:17 +05'30'